(111)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2373–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 25/अपील/2013–14.

रविन्द्र कुमार पिता हजारीलाल जैन
निवासी बेटमा
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मनोरमाबाई पति स्व. शांतिलाल जैन
2– महेशचन्द्र पिता स्व. शांतिलाल जैन
3– गौतम उर्फ अभय पिता स्व. शांतिलाल जैन
4– पंकज पिता प्रेमचंद जैन
5– मुकेश पिता प्रेमचंद जैन
निवासीगण बेटमा
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
6– श्रीमती रेखा पति हेमचंद कोठारी
निवासी 577, एम.जी. रोड
खजूरी बाजार इन्दौर
7– श्रीमती किरण पति धीरज जैन
निवासी शिवगंज दर्शन समचार पत्र, मंदसौर
8– श्रीमती तरूलता पति सुन्दरलाल महाजन
9– नितिन पिता सुन्दरलाल महाजन
निवासीगण बेटमा
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
10– पुखराज पिता हजारीलाल जैन
11– अशोक पिता शिवलाल जैन
12– अनिल कुमार पिता शिवलाल जैन
13– अजय कुमार पिता शिवलाल जैन
14– मीनाक्षी पिता शिवलाल जैन
निवासीगण बेटमा
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
15– राजकुंवरबाई पति जीतमल जैन
निवासी उषा नगर एक्सटेंशन
रणजीत हनुमान मंदिर रोड, इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 15

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर के समक्ष नायब तहसीलदार, टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर के आदेश दिनांक 25–8–2011 प्रथम अपील दिनांक 8–5–14 को लगभग तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 25/अपील/2013–14 दर्ज की जाकर दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 3 के पिता उसके साथ निवास करते थे, और उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी तहसील न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, अतः अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा आवेदन पत्र से हटकर दस्तावेज

प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर सुनवाई का अवसर आवेदक को नहीं दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 3 के पिता स्व. शांतिलाल दिनांक 16–7–2011 से 30–7–2011 तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं, और उनकी जानकारी में तहसील न्यायालय में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । जब अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 स्व. शांतिलाल की मृत्यु पश्चात नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में उपस्थित हुए, तब उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई, अतः उनके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

(2) बटवारा प्रकरण की प्रोसीडिंग में शांतिलाल के हस्ताक्षर होने का उल्लेख है, जबकि वे उक्त अवधि में अस्पताल में भर्ती थे । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसके संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी स्वतंत्र हैं कि वे विलम्ब क्षमा करें अथवा नहीं, और ऐसे आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

(4) जब शांतिलाल को बटवारा की कोई जानकारी नहीं थी, तब बटवारा आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2008 आर.एन. 243 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 15 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 तथा अनावेदक कमांक 15 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण की ओर से यह प्रमाणित किया गया है कि तहसील न्यायालय के समक्ष शांतिलाल की उपस्थिति संदेहास्पद है, क्योंकि जिन दिनांकों को शातिलाल की उपस्थिति दर्शायी जा रही है, उस समय वह बीमार था । इसके अतिरिक्त हेण्ड रायटिंग एक्सपर्ट की राय भी अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, इसके अलावा फर्द बटवारा पर भी किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योगय नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर